न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार , आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद 102/2012

वादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र बस्ती राम जाति सुथार निवासी घडोई चारणान तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बुधाराम पुत्र दुर्गाराम
2. नाथूराम पुत्र दुर्गाराम
3. जगदीश पुत्र दुर्गाराम
4. कमला बेवा दुर्गाराम
5. जवाराराम पुत्र बस्तीराम
6. पदमाराम पुत्र बस्तीराम सभी जातियान सुथार निवासीयान घडोई चारणान तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
7. अयुब खां पुत्र गाजीखां
8. उमरावखां पुत्र गाजी खां जाति मुसलमान निवासीयान रोहिलाकलां जिला जोधपुर
9. कुंपाराम पुत्र सवाराम
10. करनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति चौधरी निवासीयान वागलोप तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दावा बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री थानसिंह वादी वकील
श्री नरपतसिंह प्रतिवादी वकील

निर्णय दिनांक :– 15.09.2020

वादीगण ने यह वाद मुख्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद में व्यक्त किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की सामलाती कृषि भूमि ग्राम घडोई चारणान के ख0न0 कमशः 10 रकवा 100 बीघा, 38 रकवा 66.09 बीघा, 94/19 रकवा 13.16 बीघा कुल खसरा – 3 कुल क्षेत्रफल 180.05 बीघा तहसील पचपदा में स्थित है। उक्त भूमियों के ख0 न0 10 व 94/19 में वादी का 1/5 हिस्सा अर्थात 36 बीघा 01 विस्वा भूमि है जो वादी कदीम से जोतता आया है जो ख0 न0 10 की कुल भूमि 100 बीघा में से वादी का हिस्सा 33 बीघा 06 विस्वा, ख0न0 94/19 में वादी का 1/5 हिस्सा यानि 4 बीघा 05 विस्वा है। इस प्रकार वादी का हिस्सा उक्त दोनो खसरों में 37.11 बीघा है, वादी के हिस्से की भूमि मे से सडक निकाली गई है उसके बाद वादी के पास 33 बीघा भूमि बचती है। वादी उक्त खसरा पर अपने पिता के समय से काश्त करता आया है। उक्त भूमियों का बंटवाडा मौकीख रूप से वादी के पिता के समय हो गया था। बस्तीराम ने अपने जीवनकला में उक्त खसरान का मौखिक बंटवाडा कर दिया था। खसरा न0 94/19 की 13.16 बीघा व 100 बीघा भूमि अपने तीनों पुत्रों घेवरराम, वादी मांगीलाल व प्रतिवादी सं. 6 पदमाराम को दी थी व ख0 न0 38 की भूमि रकबा 66.09 बीघा दुर्गाराम व जवाराराम को बंटवाडा में दी थी। इसी प्रकार इन भाईयों का मौके पर कब्जा कास्त है। पिता

लगातार ......

Scanned by CamScanner

माता दोनो वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के साथ रहते थे, उनकी सेवा चाकरी ये दोनो भाई करते थे इस कारण उक्त भूमि इन दो भाईयों को 4 बीघा ज्यादा दी गई। प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष मे प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, व 5 ने षडयंत्र रचकर यह जानते हुए की ख0 न0 10 व 94/19 की भूमि वादी के बंट में आई हुई है। खतौनी सालिम होने से फायदा उठाकर दिनांक 30.04.2012 को तहसील कार्यालय में जाकर प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में हवा मे एक रजिस्ट्री कर दी, जबकि उक्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 5 ये सब जानते थे की उक्त खसरा न0 10 व 94/19 की भूमि पर उनका कभी कब्जा कासत नहीं रहा है, फिर भी लोभ व लालच में आकर वादी के कब्जा कास्त की भूमि का वादी को बिना बताये प्रतिवादीगण सख्या 10 को बेचान कर दिया जो मौखिक बंटवाडा अपने पिता के समय किया हुआ था। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 ने आपस में मिलका षडयंत्र रचकर एक राय से वादी को धोखा देने की नियत से वादी को धोखा देने की नियत से वादी की उपजाउ भूमि बेचान कर दी है। वादी ने प्रतिवादीगण को एक माह पूर्व विभाजन करने के लिए कहा गया तो उन्होने ऐलानिया धमकी दी कि उपजाउ भूमि जो वादी के कब्जा कास्त की है, बेचान की दी जायेगी, जो विधि विरूद्व है इस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद बावत बंटवाडा का लाना लाजमी हो गया है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वादपत्र बावत् दावा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया जिस पर वादीगण का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का न्यायालय द्वारा सम्मन भेजे गये । प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के वकील उपस्थित। जिस पर प्रतिवादी संख्या 10 ने जबाबमय प्रतिवाद पत्र पेश किया। व जाहिर किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1, 3,4 व 5 ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 करनाराम को बेचान कर दी है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ने अपना हिस्सा हंसराज पुत्र खीमाराम जाति चौधरी निवासी कल्याणपुर को बेचान कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 ने उनका हिस्सा मांगम खां पुत्र बन्ने खां निवासी सुरसागर जोधपुर को बेचान कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या–9 कुम्पाराम ने उसका खसरा न0 94/19 का हिस्सा पदमाराम पुत्र बस्तीराम को बेचान कर दिया है, अर्थात प्रतिवादी संख्या में परिवर्तन व खातेदारान के हिस्सा में घटत–बढत हो जाने से प्रतिवादी संख्या 10 की ओर निम्न प्रतिवा वाद पत्र वर्तमान रेकर्ड के अनुसार पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वर्तमान वाद में वाद पत्र का शीर्षक भी निम्न मुजब भी दिनांक 5.01.2016 को पेश किया गया है । जिसमें

वादी संख्या – 1. करनाराम पुत्र दुर्गाराम कलबी निवासी बागलोप तह0 पचपदा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नाथुराम पुत्र दुर्गाराम
2. मांगीलाल पुत्र बस्तीराम
3. हंसराज पुत्र खीमाराम
4. पदमाराम पुत्र बस्तीराम जाति सुथर निवासी घडोई चारणान
5. मांगु खां पुत्र पन्ने खां जाति मुसलमान निवासी रिडिया फॉटा सूरसागर

जोधपुर जिला जोधपुर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या–10 जो उक्त प्रतिवादी पत्र में वादी संख्या – 1 करनाराम है, इस वादी करनाराम ने प्रतिवाद पत्र में जाहिर किया कि अराजी खसरा न0 10 रकबा 100 बीघा व ख0 न0 94/19 रकबा 13.16 बीघा सरहद मौजा घडोई चारणान तह0 पचपदरा में उक्त भूमि स्थिति है। उक्त भूमि के खसरा न0 10 व 94/19 में खातेदारन का हिस्सा निम्न सारणी मुजब है।

नाम खातेदार	ख0न0 94/19 रकबा 13.16 बीघा मे हिस्सा	हिस्सा माफिक तदादी रकबा	ख0न0 10 रकबा 100 बीघा में हिस्सा	हिस्सा माफिक तादारी रकबा
1 करनाराम	7/20	04.37 बीघा	7/20	35 बीघा
2नाथूराम	1/20	00.14 बीघा	1/20	05 बीघा
3मागीलाल	1/5	02.15 बीघा	1/5	20 बीघा
4 हसराज	1408/5520	03.10 बीघा	3/25	12 बीघा
5 पदमाराम	800/5520	02 बीघा	00	00
6 मूगखा	00	00	7/25	28 बीघा

तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र (काउण्टर क्लेम) में आगे ये निवेदन किया कि माफिक काउण्टर क्लेम बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा किया जावें।

हमने वादीगण व प्रतिवादीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया व अध्ययन किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में ख0 न0 10 व 94/19 के वर्तमान खातेदार काउण्टर क्लेम में दर्शाया वादी संख्या–1 व प्रतिवादीगण संख्या – 1ता 5 है तथा प्रतिवादी ने भी माफिक काउण्टर क्लेम उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा का अनुतोष चाहा है अर्थात उक्त भूमि का बंटवाडा माफिक काउण्टर क्लेम, वर्तमान खातेदारन के हिस्से के माफिक किया जाना न्यायिचित होना प्रतित होता है। तथा वादी के द्वारा मांगीलाल द्वारा खसरा न0 38 रकबा 66.09 बीघा, बाबत वादी ने नजरी नक्शा जो वादपत्र के साथ पेश किया है उसमें मात्र प्रतिवादी संख्या – 5 जवारारान व दुर्गाराम का नमा अंकित किया है तथा स्वयं के द्वारा उक्त खसरा में अपना हिस्सा अलग करने का निवेदन नहीं किया है। तथा न ही इस बाबत न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिख साक्ष्य ही पेश किये है तथा न ही उक्त खसरा न0 के वर्तमान के खातेदार को पक्षकार ही बनाया है अर्थात आवश्यक पक्षकारन एवं साक्ष्य के अभाव में वादग्रस्त भूमि खसरा न0 इसमें कोई साक्ष्य पेश कियें है अर्थात् वादगस्त खसरा न0 38 रकबा 66.09 बीघा प्रतिवादी सख्या – स्वयं का हिस्सा माफिक बंटवाडा न मांग के उक्त खसरा 0 38 रकबा 66.09 बीघा के हद तक वादपत्र वादी का अस्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

दोनो पक्षों के वकील की बहस को सुना गया। तहसीलदार पचपदरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तहसीलदार पचपदरा अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि ग्राम घडोई चारणान के खसरान न0 10–100 बीघा व खसरा न0 94/19 – 13.16 बीघा के विभाजन प्रस्ताव में खातेदार के नाम निम्नानुसार है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)

Scanned by CamScanner

क्र. स	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1.	करनाराम पुत्र दुर्गाराम चौधरी सा. बागलोप 2732/5520 नाथुराम पुत्र दुर्गाराम 1/20 मांगीलाल पुत्र बस्तीराम हि 1/5 कौम सुथार सा0 देह हंसराज पुत्र खीमाराम कौम चौधरी हि. 1408/5520 सा. कल्याणपुर खातेदार	94/19	13.16	बा.आ	6.07	
2.	मागू खा पुत्र पन्ने खां हि 7/25 जाति छीपा मुसलमान सा. रिडिया फांटा सूरसागर जिला जोधपुर करनाराम पुत्र दुर्गाराम 7/20 कौम चौधरी सा. बागलोप नाथूराम पुत्र दुर्गाराम हि 1/20 मांगीलाल पुत्र बस्तीराम हि 1/5 कौम सुथार सा. देह हंसराज पुत्र भीखाराम कौम चौधरी हि 3/25 सा कल्याणपुर खातेदार	10	100.	बा.अ	44.00	

खसरा0 न0 10 का विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तावित किया गया है, जो इस प्रकार है।

मांगीलाल पुत्र बस्तीराम सुथार सा. देह , ख0न0 10 रकबा 20 किस्म बा.अ. लगान 8.80 बरंग आसमानी, करनाराम पुत्र दुर्गाराम चौधरी सा. बागलोप ख0 न0 10 रकबा 35 बा.अ लगान 15.40 बरंग हरा, मांगूखां पुत्र पन्नेखां हि. 28/75 जाति छीपा मुसलमान सा. रिडीया फांटा सूरसागर जिला जोधपुर नाथूराम पुत्र दुर्गाराम हि 5/45 सुथार सा.देह हंसराज पुत्र खीमाराम चौधरी 12/45 सा. कल्याणपुर, खसरा न0 10 रकबा 45 किस्म बा.अ. लगान 19.80 बरंग भूरा दर्ज किया गया है। खसरा न. 94/19 रकबा 13.16 बीघा के बीच से सडक निकलने कारण दो हिस्सो में लटठा ट्रेस में विभाजित है किन्तु नक्शा लटठा ट्रेस में उक्त खसरे को 94/19 (एक नंबर) खसरा नं दे रखा है उक्त ख.न. की लटठा ट्रेस अनुसार क्षेत्रफल (रकबा) अलग करने पर खसरा.न. 94/19 जो सडक से पश्चिम की तरफ है उक्त खसरे का रकबा 7.12 बीघा जिसे काल्पनिक नं 94/19 'ए' व 94/19 का हिस्सा जो सडक से पूर्व की तरफ है जिसका रकबा 6.04 बीघा है जिसे काल्पनिक खसरा न0 94/19 'बी' दिया जाकर निम्न प्रकार विभाजन प्रस्तावित किया गया जो इस प्रकार है। मांगीलाल पुत्र बस्तीराम सुथार सा देह ख.न. 94/19 'ए', रकबा 1.10.04 ख.न. 19/19 'बी' रकबा 1.05 कुल योग रकबा 2.15.04 किस्म बा.अ लगान 1.21 बरंग आसमानी, करनाराम पुत्र दुर्गाराम चौधरी सा. देह ख.न. 94/19 'ए', रकबा 3.15.12, ख.न. 19/19 'बी' रकबा 1.05 कुल योग रकबा 2.15.04, 94/19 'बी' 3.01.00 कुल रकबा 6.16.12 किस्म बा.अ लगान 3.00 बरंग हरा, नाथूराम पुत्र दुर्गाराम 276/1684 सुथार सा.देह हंसराज पुत्र खीमाराम चौधरी 1104/1684 सा.कल्याणपुर खसरा न0 . 94/19 'ए', रकबा 2.05.15, ख.न. 94/19 'बी' रकबा 1.18.09 कुल योग रकबा 4.04.04 किस्म बा.अ लगान 1.86 बरंग भूरा दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र माफिक अनुतोष स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिवाद माफिक अनुतोष पूर्ण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जो स्वीकार किया जाकर मौजा घडोई चारणान खसरा न0 10 रकबा 100 बीघा, ख0 न0 94/19 रकबा 13.16 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में माफिक हिस्से के अनुसार दर्ज करने के आदेश

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

तहसीलदार पचपदरा को दिया जाता है कि उक्त खसरा की भूमि में माफिक निर्णय डिक्री अनुसार हिस्सा राजस्व रेकर्ड दर्ज करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अन्तिम डिगरी ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

[civil procedure code, Appendix 'D'1]

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. मुकाम बालोतरा

बइजलास– पीठासीन अधिकारी रोहित कुमार आर0ए0एस0

मुकदमा न0 राजस्व वाद 102/2012

वादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र बस्ती राम जाति सुथार निवासी घडोई चारणान तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

वनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बुधाराम पुत्र दुर्गाराम
2. नाथूराम पुत्र दुर्गाराम
3. जगदीश पुत्र दुर्गाराम
4. कमला बेवा दुर्गाराम
5. जवाराराम पुत्र बस्तीराम
6. पदमाराम पुत्र बस्तीराम सभी जातियान सुथार निवासीयान घडोई चारणान तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
7. अयुब खां पुत्र गाजीखां
8. उमरावखां पुत्र गाजी खां जाति मुसलमान निवासीयान रोहिलाकलां जिला जोधपुर
9. कुंपाराम पुत्र सवाराम
10. करनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति चौधरी निवासीयान बागलोप तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

डिकी पर्चा

मुकदमा नं0 राजस्व मूल वाद संख्या 102 सन् 2012

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

यह मुदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण निजानिब थानसिंह मुद्दई वकील श्री नरपतसिंह भाटी हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि :– के ग्राम घडोई चारणान खसरा न0 10 रकबा 100 बीघा, ख0 न0 94/19 रकबा 13.16 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौका का विभाजन का अन्तिम बंटवाडा भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा के कंमाक/ भू.अ./ 2018/ 3185 दिनांक 3.7.2018 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ के माफिक मौका फर्द विभाजन इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी की जाती है:–

मांगीलाल पुत्र बस्तीराम सुथार सा. देह , ख0न0 10 रकबा 20 किस्म बा.अ. लगान 8.80 बरंग आसमानी, करनाराम पुत्र दुर्गाराम चौधरी सा. बागलोप ख0 न0 10 रकबा 35 बा.अ लगान 15. 40 वरंग हरा, मांगूखां पुत्र पन्नेखां हि. 28/75 जाति छीपा मुसलमान सा. रिडीया फांटा सूरसागर जिला जोधपुर नाथूराम पुत्र दुर्गाराम हि 5/45 सुथार सा.देह हंसराज पुत्र खीमाराम चौधरी 12/45 सा. कल्याणपुर, खसरा न0 10 रकबा 45 किस्म बा.अ. लगान 19.80 बरंग भूरा दर्ज किया गया है। खसरा न. 94/19 रकबा 13.16 बीघा के बीच से सडक निकलने कारण दो हिस्सो में लटठा ट्रेस में विभाजित है किन्तु नक्शा लटठा ट्रेस में उक्त खसरे को 94/19 (एक नंबर) खसरा नं दे रखा है उक्त ख.न. की लटठा ट्रेस अनुसार क्षेत्रफल (रकबा) अलग करने पर खसरा.न. 94/19 जो सडक से पश्चिम की तरफ है उक्त खसरे का रकबा 7.12

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

बीघा जिसे काल्पनिक नं 94/19 'ए' व 94/19 का हिस्सा जो सडक से पूर्व की तरफ है जिसका रकबा 6.04 बीघा है जिसे काल्पनिक खसरा न0 94/19 'बी' दिया जाकर निम्न प्रकार विभाजन प्रस्तावित किया गया जो इस प्रकार है। मांगीलाल पुत्र बस्तीराम सुथार सा देह ख.न. 94/19 'ए', रकबा 1.10.04 ख.न. 19/19 'बी' रकबा 1.05 कुल योग रकबा 2.15.04 किस्म बा.अ लगान 1.21 बरंग आसमानी, करनाराम पुत्र दुर्गाराम चौधरी सा. देह ख.न. 94/19 'ए', रकबा 3.15.12, ख.न. 19/19 'बी' रकबा 1.05 कुल योग रकबा 2.15.04, 94/19 'बी' 3.01.00 कुल रकबा 6.16.12 किस्म बा.अ लगान 3.00 बरंग हरा, नाथूराम पुत्र दुर्गाराम 276/1684 सुथार सा.देह हंसराज पुत्र खीमाराम चौधरी 1104/1684 सा.कल्याणपुर खसरा न0 . 94/19 'ए', रकबा 2.05.15, ख.न. 94/19 'बी' रकबा 1.18.09 कुल योग रकबा 4.04.04 किस्म बा.अ लगान 1.86 बरंग भूरा दर्शाया जाएं।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है, राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौ।नी व नक्शा में आवश्यक अमल दरामद कर पक्षकारन के खाते जुदा जुदा दर्ज करें। खर्चा पक्षकारन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.09.2020 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

दिनांक :- 16.9.20

क्रमांक/राज/ वाद/ 4154

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को पालानार्थ :-

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner